

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION No. 87/2026

IN THE MATTER OF:

NITIN SAXENA

.....APPLICANT

VERSUS

MP STATE WETLAND AUTHORITY & ORS..

.....RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE
1.	Joint Committee Report in the Original Application No. 87/2026 (CZ)		2-13
2.	Inspection Photographs	1	14-15
3.	Google Earth Imagery	2	16
4.	Copy of Attendance Sheet	3	17
5.	Documents provided by WRD	4	18-19
6.	Copy of letter to BMC dt 06.07.2026	5	20
7.	Copy of letter from BMC dt 10.07.2026	6	21-26
8.	Copy of letter to MPSWA dt 06.07.2026	7	27
9.	Copy of letter from MP SWA dt 08.07.2026	8	28-37
10.	Copy of letter to TNCP dt 06.07.2026	9	38
11.	Copy of letter from TNCP dt 14.07.2026	10	39-49
12.	Copy of letter to SDM Kolar dt 06.07.2026	11	50
13.	Analysis Results of water samples	12	51-52
14.	Analysis Results of Shahpura Lake and NRCP Pond	13	53-54
15.	Vakalatnama		55
16.	Proof of Service		

Date: 16.07.2026

Place: Bhopal

**Submitted by MPPCB: -
through Counsel**



Adv. Parul Bhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
ORIGINAL APPLICATION No. 87/2026

IN THE MATTER OF:

NITIN SAXENA

.....APPLICANT

VERSUS

MP STATE WETLAND AUTHORITY & ORS..

.....RESPONDENT

JOINT COMMITTEE REPORT IN ORIGINAL APPLICATION NO. 87/2026
(CZ) NITIN SAXENA VS MP STATE WETLAND AUTHORITY & ORS.

1. That, the Hon'ble NGT vide order dated 17.04.2026 passed in OA 87/2026 (CZ) "Nitin Saxena Vs Mp State Wetland Authority & Ors." issued following directions: -

- "1. By means of filing application the applicant has highlighted the encroachment and ecological deterioration of Shahpur Lake situated in Bhopal, Madhya Pradesh, discharge of untreated water into the waterbodies, illegal constructions, obstruction on natural drainage, channel, intentional damage to the discharge of water accumulated in the pond intended to make encroachment directly affecting the environment.*
- 2. The grievance of the applicant are continued degradation, encroachment and ecological deterioration of Shahpura Lake, situated in Bhopal, Madhya Pradesh. Shahpura Lake is an important urban water body constructed during the year 1974-75 by the Water Resources Department, Government of Madhya Pradesh, primarily for irrigation and groundwater recharge purposes. The lake presently has a catchment area of approximately 8.29 square kilometres and a water spread area of approximately 0.96 square kilometres and historically functioned as a vital ecological resource surrounded by dense green belt and natural drainage channels that supported groundwater recharge and maintained ecological balance in the surrounding*

region. However, over the past decade, Shahpura Lake has been subjected to rapid and uncontrolled urbanization, resulting in encroachments, illegal constructions and obstruction of natural drainage channels feeding the lake. Reports published in newspapers including Patrika and DB Star dated 08.03.2026 & 09.03.2026 accordingly, states that several constructions including residential colonies along Chunabhatti Road, a Pollution Control Board office and a government school building have come up within the restricted buffer zone surrounding the lake. These constructions have reportedly been raised within 20-30 meters of the lake boundary, thereby violating environmental safeguards applicable to wetlands and threatening the ecological integrity of the lake ecosystem.

3. The situation is further aggravated by above stated reports indicating that illegal construction activities and plotting are continuing within a 50-meter radius of the lake, while permissions for such constructions are being granted by applying the 33-meter buffer norm derived from earlier planning regulations given under Bhopal Development Plan, 1995-2005. The continued reliance on the 33-meter norm is contrary to the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 & 2017, which prohibit construction of permanent structures within 50 meters of the High Flood Level as given under Rule 4 (2)(vi) The Bhopal Development Plan formulated in 1995 (effective till 2005) continues to be relied upon despite the subsequent coming into force of the Wetlands Rules which provide stricter environmental safeguards for protection of wetlands.
4. Environmental concerns relating to Shahpura Lake are further aggravated by severe pollution of the lake water. According to reports of the Pollution Control Board, the water quality of the lake presently falls under the Class-E category, indicating that the water is unsuitable for use without treatment. The pollution is largely attributed to the continuous inflow of wastewater

through various drains and nallahs feeding the lake, including Panchsheel Nallah, Manisha Market Nallah and Chuna Bhatti Nallah. These drains pass through densely populated colonies and slum settlements from where untreated sewage and solid waste are discharged into the drains, which ultimately enter the lake. Despite the deteriorated water quality of the lake, fish cultivation is reportedly being carried out in the polluted waters of Shahpura Lake and the fish so cultivated are used for human consumption, raising serious environmental and public health concerns as pollutants and heavy metals may accumulate in aquatic organisms. Around the lake, lot of eateries, both permanent as well as temporary, are opened every day in the evening which are frequented by a number of visitors to the lake and waste being generated therein is often thrown into the lake itself.

- 5. The environmental degradation of Shahpura Lake is also occurring despite ongoing beautification works undertaken by the Bhopal Municipal Corporation, which include construction of a 2.6-kilometre pathway, installation of approximately 325 LED lights and installation of fountains around the lake. These works focus primarily on aesthetic development without addressing the core environmental concerns relating to encroachments, sewage inflow, loss of natural catchment area and deterioration of water quality. Further, under the Guidelines for implementing Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2020, the concerned authorities are required to identify and demarcate not only the wetland boundary but also the “Zone of Influence” of the wetland through scientific mapping and ground truthing. However, no proper scientific demarcation of the Zone of Influence of Shahpura Lake has been carried out till date. In the absence of such demarcation, construction activities and land use changes are continuing in the immediate vicinity of the lake which directly affect the hydrology, drainage patterns and ecological functioning of the*

wetland ecosystem. Under Rule 5 (4) (b) of Wetland Rules, 2017, it directs the State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority to prepare a list of wetlands to be notified, within six months from the date of publication of these rules; taking into cognizance any existing list of wetlands prepared/notified under other relevant State Acts. Despite such rules, there has been no such notifications in 9 years by the concerned authorities. Such above stated actions are in clear violation of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, which prohibit encroachments, conversion of wetlands for non-wetland uses, dumping of waste, discharge of untreated effluents and construction of permanent structures within the prescribed buffer zone surrounding wetlands. The continued degradation of Shahpura Lake also violates the environmental principles of sustainable development, precautionary principle and polluter pays principle recognised under the National Green Tribunal Act, 2010.

-----XX-----XX-----XX-----

10. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:

- (i) One representative nominated by the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, State of MP (M.P.)
- (ii) One representative from by the Water Resources Department, State of MP (M.P.)
- (iii) One representative nominated by the Director, Central Pollution Control Board,
- (iv) One representative nominated by the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.)

11. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.”

2. That, in compliance to the order of Hon'ble NGT dated 17.04.2026, the nomination of the joint committee members consisting of the following officials of the concerned departments were received by 23.06.2026 and thereafter the following committee has been constituted: -

S. No	Name of Department	Name of Committee Member
1.	One representative nominated by the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, State of MP (M.P.)	Shri Tanmay Vashistha Sharma, Additional Commissioner, Municipal Corporation, Bhopal.
2.	One representative from the Water Resources Department, State of MP (M.P.)	Shri Neeraj Chaturvedi, SDO, Kaliasot Work Sub Division 01, MPWRD, Bhopal.
3.	One representative nominated by the Director, Central Pollution Control Board	Dr. Poulami C Patil, Scientist C, CPCB, RD, Bhopal.
4.	One Representative from the Member Secretary State Pollution Control Board.	Shri Neetesh Chaurasiya, Regional Officer, RO, MPPCB, Bhopal.

3. That, in compliance with the aforesaid Order of the Hon'ble Tribunal, the Joint Committee carried out a site inspection on 01.07.2026 at Shahpura Lake, Tehsil Kolar, District Bhopal, Madhya Pradesh.

During the course of the inspection, besides the members of the Joint Committee, Dr. Praveen Kothari, Scientist, Shri Jainendra Chandel, Chemist, Regional Office, MPPCB, Bhopal; Shri Pundreek Dwivedi, Assistant Engineer, Shri Gaurav Parmar, Assistant Engineer, Shri Aditya Khare, Assistant Engineer, Bhopal Municipal Corporation; Shri Hariom Maheshwari, Assistant Director,

Town and Country Planning; and Dr. Manoj Vishwakarma, Scientist, Madhya Pradesh State Wetland Authority, EPCO, Bhopal, were also present.

Photographs taken during the inspection are enclosed as **Annexure-1**. The geographical coordinates of all relevant locations were recorded using a mobile-based application and subsequently plotted on Google Earth imagery, which is enclosed as **Annexure-2**.

A meeting was convened prior to the inspection inspection to discuss the issues raised in the Hon'ble Tribunal's Order. The attendance sheet is enclosed collectively as **Annexure-3**.

The observations recorded during the inspection are detailed as follows:

- 3.1. Shahpura Lake is situated in Shahpura, Tehsil Kolar, District Bhopal, adjacent to Manisha Market, at the geographical coordinates Latitude 23°12'21.45"N and Longitude 77°25'20.03"E.
- 3.2. During the inspection, the surrounding land use and prominent landmarks around the lake were observed. Rishabh Dev Park is situated along the southern and eastern periphery while Residential colonies and Government Naveen Higher Secondary School are located on the western side, whereas Paryavaran Parisar is situated on the northern side of the lake.
- 3.3. The lake is bounded by Kolar Road on the western side, Chunabhatti Road on the southern side, Manisha Market Road on the eastern side, and Ekant Park on the northern side.
- 3.4. During the inspection, the representative of the Water Resources Department (WRD) informed that Shahpura Lake is under the jurisdiction of the Bhopal Municipal Corporation (BMC). In support of the same, a copy of the communication dated 10.10.2002 was furnished, which is enclosed herewith as **Annexure-4**.
- 3.5. An NRCP Pond was observed within Ekant Park on the northern side of the lake. The park was found to be well-maintained with adequate greenery and plantation.
- 3.6. During the inspection, the three nallas referred to in the petition were also visited. Officials of the Bhopal Municipal Corporation (BMC) informed

that the flow from Panchsheel Nalla is diverted to the NRCP Pond for treatment, and the treated water is thereafter discharged into Shahpura Lake. It was further informed that the sewage generated from the Chunabhatti area is conveyed to the 9.5 MLD Sewage Treatment Plant (STP) located behind Bansal Hospital and, therefore, does not discharge into Shahpura Lake.

- 3.7. During the inspection, adequate water level was observed in Shahpura Lake. The presence of fish, ducks indicated the existence of an aquatic ecosystem.
- 3.8. During the inspection, repair works of the aeration fountain installed in Shahpura Lake for improving dissolved oxygen levels and maintaining water quality were found to be in progress. The said works were being undertaken by the BMC.
- 3.9. During the inspection, no boundary pillars (munaras) or other physical markers indicating demarcation of the lake boundary were observed by the Joint Committee along the periphery of Shahpura Lake. During inspection, it was instructed to install munars to the BMC officials.
- 3.10. During the inspection, the representatives of the Madhya Pradesh State Wetland Authority (SWA) informed the Joint Committee that the demarcation of Shahpura Lake had been carried out by the Revenue Inspector, Tehsil Kolar, and furnished the field book dated 20.02.2025. However, subsequently, the Town and Country Planning (TNCP) Department, vide its letter dated 14.07.2025, informed that the aforesaid field book does not show the entire boundary of Shahpura Lake.
- 3.11. Plantation and green cover were observed along several stretches of the lake periphery.
- 3.12. Water samples were collected during the inspection from the spill outlet of Shahpura Lake and near Rishabhdev Park for analysis.
4. That, pursuant to the inspection of Shahpura Lake, information relating to the issues observed during the inspection was sought from the Bhopal Municipal Corporation (BMC) vide MPPCB Letter No. 2537 dated 06.07.2026. A copy of the said letter is enclosed herewith as **Annexure-5**. In response, the Bhopal

Municipal Corporation, vide Letter No. 87 dated 10.07.2026, furnished the requisite information regarding the nalla, beautification and rejuvenation of Shahpura Lake, encroachments, solid waste management. A copy of the said reply is enclosed herewith as **Annexure-6**. The salient points of the information furnished by the Bhopal Municipal Corporation are summarized below:

4.1.Details of drains discharging into Shahpura Lake and established/proposed STPs: -

- 4.1.1. The Shahpura Lake is mainly connected to three drains (Panchsheel drain, Manisha Market drain, and Chunamabatti drain). The sewage from the Shahpura Chavni areas near the Manisha Market drain has been tapped into the sewage pump house located near Manisha Market, from where the sewage is pumped and treated at the 13.0 M.L.D. Sewage Treatment Plant located at Sabzi Farm, Dana Pani Road. The water from this drain is not discharging into Shahpura Lake.
- 4.1.2. Similarly, the sewage of Shahpura 'A' and 'B' Sector is pumped through a pump house of 2.0 M.L.D. capacity built near Shahpura Lake, and likewise, the sewage of Shahpura 'C' Sector Chunabhatti area is treated in the 9.5 M.L.D. capacity Sewage Treatment Plant established behind Bansal Hospital.
- 4.1.3. The water of the Panchsheel drain enters Shahpura Lake only after being treated in the oxidation pond established in Ekant Park. Under the Amrut 2.0 Project, the construction of a new 6.0 M.L.D. capacity Sewage Treatment Plant is also proposed near Ekant Park. Following its construction, sewage will not flow into Shahpura Lake from any location.

4.2.Details of works related to the beautification and rejuvenation of Shahpura Lake: —

- 4.2.1. Under the Shahpura Lake rejuvenation plan, work related to the conservation of the lake have been proposed along with its beautification. Under the proposed work, the maintenance of the stop

dam is being carried out, thereby improving in maintaining the desired water level of the lake by retaining the inflow.

4.2.2. The work of installing fountains in the lake will help in maintaining the oxygen level in the lake, which is extremely important for the fish and other aquatic life in the lake.

4.2.3. Apart from this, under the project, silt removal work from the lake to maintain the ecosystem and for beautification, plantation on the periphery of the lake and pathway construction are also included.

4.3.Details of actions regarding encroachment: —

4.3.1. The residential colonies in the Chunabhatti area, the MPPCB Office Building and the Government School Building were constructed prior to the year 2017. A letter has been sent by the BMC to the Sub-Divisional Officer, Tehsil Kolar for demarcation to identify illegal encroachments around Shahpura Lake, and action is being taken in coordination with the Water Resources Department, Municipal Corporation, and Town and Country Planning.

4.3.2. To ensure that no new construction is permitted in the buffer zone of the lake, a letter has been sent to the Chief City Planner, Municipal Corporation Bhopal by the Superintending Engineer, Lake Conservation Cell, BMC.

4.4.Solid Waste Management: —

4.4.1. Regular cleaning and sanitation work is carried out by the Municipal Corporation, Bhopal, in the areas surrounding the lake. For solid waste management, litter bins have been installed at various places by the Municipal Corporation. Waste from the market area is collected daily and sent to the scientific waste processing plant for disposal.

4.4.2. Public awareness campaigns are conducted through various mediums to encourage citizens not to use single-use plastics, and spot fine actions are also imposed against violators.

5. That, information pertaining to the wetland status, demarcation, and zone of influence of Shahpura Lake was sought from the Madhya Pradesh State Wetland

Authority, EPCO, Bhopal, vide MPPCB Letter No. 2533 dated 06.07.2026. A copy of the said letter is enclosed as **Annexure-7**. In response, the Madhya Pradesh State Wetland Authority, EPCO, Bhopal, vide Letter No. 988 dated 08.07.2026, furnished the requisite information. A copy of the said reply is enclosed as **Annexure-8**.

- 5.1. As per the information furnished by the State Wetland Authority, Shahpura Lake is having an existing area of 47.2205 hectares and is identified as a wetland. Accordingly, the provisions of Rule 4(2) of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, are applicable to the said wetland.
6. That, information regarding development plan, land use, permissions granted with reference to Shahpura Lake was sought from the Town and Country Planning Bhopal, vide MPPCB Letter No. 2534 dated 06.07.2026. A copy of the said letter is enclosed as **Annexure-9**. In response, the Town and Country Planning Bhopal, vide Letter dated 14.07.2026, furnished the requisite information. A copy of the said reply is enclosed as **Annexure-10**. The salient points of the information furnished by the Town and Country Planning Bhopal are summarized below:
 - 6.1. Regarding the 33-meter buffer zone around Shahpura Lake, it is submitted that no approval or permission has been granted by Town and Country Planning for any construction or development work in the said area. Additionally, no Change of Land Use of any kind has been made in the said area under the Bhopal Development Plan, 2005.
 - 6.2. MPCST was requested via office letter dated 02.07.2026, to digitize Shahpura Lake and prepare a GIS-based Shape File and KML File for Shahpura Lake and its 50-meter buffer zone based on the Field Book of Shahpura Lake prepared by the Revenue Inspector, Kolar Tehsil in reference to the demarcation of the Shahpura Lake. The map superimposing Shahpura Lake and its 50-meter buffer zone on a satellite map was provided to Town and Country Planning via email dated 08.07.2026. It is evident from the KMZ file that the submitted demarcation field book does not show the entire boundary of Shahpura Lake.

7. That, information regarding encroachment and demarcation of Shahpura Lake was sought from the Sub Divisional Magistrate, Tehsil Kolar vide MPPCB Letter No. 2531 dated 06.07.2026. A copy of the said letter is enclosed as **Annexure-11**. The information from the Revenue Department is awaited.

8. Water Quality Monitoring and Results

8.1. That, during inspection water samples were collected during the inspection from the spill outlet of Shahpura Lake and near Rishabhdev Park for analysis. The samples were analyzed by the Central Laboratory, MPPCB, and the results are enclosed as **Annexure-12**.

8.2. That, with regard to periodic monitoring of Shahpura Lake, the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) is carrying out monthly water quality monitoring of the lake. As per the analytical data for the period from January 2026 to June 2026, the average Dissolved Oxygen (DO) concentration was recorded as 5.3 mg/L, which is adequate to support aquatic life. Based on the monitored water quality during the said period, the water quality of Shahpura Lake conforms to CPCB Water Quality Criteria under Category 'D' (Propagation of Wildlife and Fisheries).

8.3. That, MPPCB is also periodically monitoring the samples from the NRCP Oxidation Pond at Ekant Park are analyzed on a monthly basis. The analysis results indicate that the treated water from the Oxidation Pond is meeting the prescribed standards.

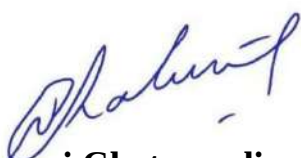
The analytical results for the period from January 2026 to June 2026 and oxidation pond are enclosed as **Annexure-13** for kind perusal.

9. Recommendations

That, based on the observations made during inspection and analysis of available information, the following recommendations are respectfully submitted for consideration of the Hon'ble Tribunal:

9.1. The Bhopal Municipal Corporation (BMC) shall ensure that no untreated sewage or wastewater is discharged into Shahpura Lake, either directly or indirectly, and shall expedite the construction of the proposed 6.0 MLD Sewage Treatment Plant under the AMRUT 2.0 Project to ensure complete interception and treatment of sewage from the lake catchment.

- 9.2. The Revenue Department, in coordination with the Bhopal Municipal Corporation, Town and Country Planning Department, and the Madhya Pradesh State Wetland Authority, shall expedite the demarcation of the entire boundary of Shahpura Lake and install permanent boundary pillars (munaras) or other suitable physical markers. A clearly demarcated wetland boundary will enable proper identification of any encroachments, if any, and facilitate appropriate measures for their prevention and removal.
- 9.3. The concerned authorities shall ensure strict compliance with the provisions of Rule 4(2) of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, and shall not permit any activity prohibited under the said Rules within the wetland or its regulated area.



Neeraj Chaturvedi
SDO

Kaliasot Work Sub Division 01,
MPWRD, Bhopal.



डॉ. पौलमी सी पाटिल
Dr. Poulami C. Patil
ज्ञानिक-SC Scientist -SC
केंद्रीय निदेशालय (कच्य)
Central Directorate (Central)
भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
भोपाल/BHOPAL

Dr. Poulami C Patil,
Scientist C
CPCB, RD, Bhopal.



Neetesh Chaurasiya
Regional Officer
RO, MPPCB, Bhopal



Tanmay Vashistha Sharma
Additional Commissioner
Municipal Corporation,
Bhopal

Inspection Photographs in OA 87/2026 (CZ) dated 01.07.2026





Google Earth Imagery in OA 57/2026 (CZ) of Shahpura Lake



Attendance sheet

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल

प्रकरण:- OA No. 87/2026 (CZ) एवं संबद्ध OA No. 57/2026 (CZ)

निरीक्षण दिनांक :- 01/07/2026 समय:- 10:00 AM

समीक्षा स्थल:- क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)

क्र.	नाम	पदनाम	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
1.	Tanmay Vashistha. Shankar.	Additional Commissioner, BMC	881944119	
2.	Dr. Poulami C. Palit	Sec. 'C'	9893572766	
3.	Neeraj Chaturvedi	SDO (WRD)	7000783639	
4.	Pundarik Dwivedi	AE (BMC)	9425874311	
5.	Aditya Khare.	AEC BMC)	9406751589	
6.	Harim Maheshwari	AD, T&CP	9002883305	
7.	Dr. Praveen Kothari	AO, MPPCB Bhopal	9893142201	
8.	Dr. Manoj V	Scientist SWA, EPCO	9826868144	
9.	Neeraj Chaturvedi	RD, Bhopal MPPCB	7899892470	
10.	Jeinendran Chandel	Chemist R.O. MPPCB Bhopal	8319230071	
11.	Gaurav Parmar	AE BMC	9424499708	
12.	Prakanya Tiwari	AE PCB	9893040907	
13.				
14.				

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, **118** संसाधन संभाग, भोपाल (म.प्र.)
(शेड क्र. 1, प्रेस कॉम्प्लेक्स, महाराणा प्रताप नगर, जेठ-1, भोपाल)
दूरभाष (0755) 553096

शाय क्रमांक 4372 / LA-36 / TS

दिनांक 10/10/02

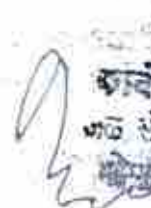
प्रति

आफुला
नगर निगम, भोपाल

विषय:- चूना गद्दी शाहपुरा तालाब के रख रखाव के संबंध
मूल फाईल वापस
संदर्भ:- आपालनीत पत्र क्रमांक 3302/LA-26/TS दिनांक
6.8.02/19.8.02

उपरोक्त विषय के लेख है कि गजाल - चूना गद्दी
स्थिति जलाशय का रिकार्ड आपकी संदर्भित पत्र के
प्रस्तुत किया भी चुका है। जलाशय से संबंधित मूल-
गी कागजी कोर भेजी जा रही है। कृपया पावती भेज
की कृपा करें।

संद पत्र:- मूल फाईल
पत्र नं-1 से 435 तक


अधीक्षक (म. प्र.)

प्र. क्रमांक 4373 / LA-36 / TS

दिनांक 10/10/02

प्रतिलिपि

1) अनुनिमाणीय अधिकारी कलिया सोहन
शाय उपसेवा क्रमांक-1 भोपाल की कोर सूचना
प्रस्तुत


अधीक्षक (म. प्र.)

कार्यालय

27/7/23

डाक बुक नं. 19

[15]

दिनांक	सम्बन्धित अधिकारी	दस्तावेज का विवरण	प्राप्त करने वाले अधिकारी के तत्क्षिप्त हस्ताक्षर
--------	-------------------	-------------------	---

आभुक्त

नगर निगम कोषाल



पत्र 3025 60/- 26/7/23

मह. उपरीक्त गुला

LA-36

28/7/23

28/7/23

अधीक्षक पंजी
जल संसाधन मंडल
कोषाल

256/

340 वि.प.

मह. उपरीक्त गुला

Received

Office of the Superintending Engineer
Water Resources Circle
Near Nandan College Main Road No. 1
Shivaji Nagar BHOPAL-462016 (M.P.)



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb_bpl@rediffmail.com

भोपाल, दिनांक 6 / 7 / 2026

क्रमांक 2537/क्षेका/प्रनिबो/2026
प्रति,आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
कुशाभाऊ ठाकरे, आई.एस.बी.टी. परिसर,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल में प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) नितिन सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में जानकारी/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने बाबत।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) में दिनांक 17.04.2026 को पारित आदेशानुसार प्रकरण शाहपुरा झील के संरक्षण, झील क्षेत्र में कथित अतिक्रमण, अवैध निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में अवरोध, झील के जल प्रदूषण, आर्द्रभूमि (Wetland) नियमों के अनुपालन तथा शाहपुरा झील के सीमांकन एवं पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है। प्रकरण में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.07.2026 को स्थल निरीक्षण किया गया। प्रकरण के परीक्षण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किए जाने हेतु कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. शाहपुरा झील में मिलने वाले पंचशील नाला, चुनाभट्टी नाला एवं मनीषा मार्केट नाला के संबंध में उपलब्ध विवरण, भौगोलिक निर्देशांक सहित स्थान तथा इन नालों के इंटर्सेप्शन एवं डायवर्सन (Interception & Diversion) हेतु प्रस्तावित/क्रियान्वित योजना एवं प्रगति की वर्तमान स्थिति।
2. उपरोक्त नालों के अपशिष्ट जल के शोधन हेतु स्थापित/प्रस्तावित STP का विवरण, क्षमता, वर्तमान संचालन की स्थिति तथा उपचारित जल के निस्तारण संबंधी जानकारी।
3. शाहपुरा झील के सौंदर्यीकरण (Beautification) कार्यों (पाथवे, फाउंटेन, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य विकास कार्यों) का विवरण तथा उनसे संबंधित स्वीकृत योजनाएं एवं प्रगति।
4. शाहपुरा झील के आसपास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु की गई व्यवस्थाएँ।
5. शाहपुरा झील क्षेत्र एवं बफर जोन में चिन्हित अतिक्रमणों का विवरण तथा हटाने हेतु की गई कार्यवाही। झील क्षेत्र में अनुमत/अनधिकृत निर्माण गतिविधियों संबंधी उपलब्ध जानकारी।
6. प्रकरण से संबंधित विभाग के पास उपलब्ध अन्य कोई सूचना, प्रतिवेदन, अध्ययन, पत्राचार अथवा अभिलेख।

उक्त जानकारी एवं संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय को 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि संयुक्त समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत किया जा सके।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

(झील संरक्षण प्रकोष्ठ)

Annexure-6

क 87 / न.नि.भो. / 2026
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/07/26

क्षेत्रीय अधिकारी
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल में प्रकरण क्रमांक OA 87/2026 (CZ) श्री नितिन सक्सेना विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए जाने बावत्।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2537/क्षेका/प्रनिबो/2026 भोपाल दिनांक 06.07.2026।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) में दिनांक 17.04.2026 को पारित आदेश के परिपालन में प्रकरण में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.07.2026 को स्थल निरीक्षण उपरांत तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

शाहपुरा झील में मिलने वाले नालों एवं स्थापित/प्रस्तावित एस.टी.पी. का विवरण:-

शाहपुरा तालाब मुख्यतः तीन नालो (पंचशील नाला, मनीषा मार्केट नाला एवं चूनाभट्टी नाला) से जुड़ा हुआ है। मनीषा मार्केट नाले के पास शाहपुरा छावनी क्षेत्रों के सीवेज को मनीषा मार्केट के पास स्थित सीवेज पंप हाउस में जोड़ा गया है, जहां से सीवेज को पंप कर सब्जी फार्म दाना पानी रोड स्थित 13.0 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जाता है। इस नाले का पानी शाहपुरा तालाब में नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार शाहपुरा 'ए' एवं 'बी' सेक्टर का सीवेज शाहपुरा तालाब के पास निर्मित 2.0 एम.एल.डी. क्षमता के पंप हाउस के माध्यम से पंप होकर तथा इसी प्रकार शाहपुरा 'सी' सेक्टर चूनाभट्टी क्षेत्र का सीवेज भी बंसल हॉस्पिटल के पीछे स्थापित 9.5 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जाता है। पंचशील नाले का पानी एकांत पार्क में स्थापित 9.5 एम.एल.डी. क्षमता के ऑक्सिडेशन पॉन्ड में उपचारित होने के उपरांत ही शाहपुरा तालाब में मिलता है। अमृत 2.0 परियोजना के अंतर्गत एकांत पार्क के पास 6.0 एम.एल.डी. क्षमता का नवीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। जिसके निर्माण के उपरांत किसी भी स्थान से सीवेज शाहपुरा तालाब में प्रवाहित नहीं होगा। (संलग्न प्रपत्र 01)

शाहपुरा झील के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार से संबंधित कार्यों का विवरण:-

शाहपुरा तालाब जीर्णोद्धार कार्य अंतर्गत तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ तालाब के संरक्षण से संबंधित कार्य भी प्रस्तावित किये गये हैं। प्रस्तावित कार्य के अंतर्गत स्टाप डेम का संधारण किया जा रहा है जोकि तालाब में प्राकृतिक जल के मिलने से तालाब के जल स्तर को नीचे गिरने से रोकने में सहायक होगा। तालाब में फाउन्टेन लगाये जाने के कार्य से तालाब में ऑक्सिजन लेवल बनाये रखने में मदद मिलेगी जोकि तालाब में रहने वाली मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों के लिये अत्याधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त परियोजना में पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने एवं सौंदर्यीकरण हेतु तालाब से गाद निकासी का कार्य तथा तालाब की परिधी में वृक्षारोपण तथा पाथवे बनाने का कार्य भी सम्मिलित है। (संलग्न प्रपत्र 02)

अतिक्रमण संबंधी कार्यवाहियों का विवरण:-

चूनामट्टी क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों, कार्यालय भवन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं शासकीय विद्यालय भवन चूनामट्टी का निर्माण वर्ष 2017 के पूर्व का है। शाहपुरा तालाब के आस-पास अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किये जाने के लिए सीमांकन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है (संलग्न प्रपत्र 03) तथा जल संसाधन विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जा रही है। तालाब के बफर जोन में किसी भी प्रकार के नवीन निर्माण की अनुमति न दिये जाने हेतु मुख्य नगर निवेशक, नगर निगम भोपाल को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है (संलग्न प्रपत्र 04)।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:-

तालाब के आसपास के क्षेत्र में नगर निगम भोपाल द्वारा नियमित रूप से साफ-सफाई का कार्य किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम भोपाल द्वारा विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान (litter bin) स्थापित किये गये हैं, मार्केट क्षेत्र से प्रतिदिवस कचरा एकत्रित किया जाकर वैज्ञानिक तकनीक से निस्तारण हेतु प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना किये जाने हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आमजन को प्रेरित किया जाता है तथा गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध स्पॉट फाइन की कार्यवाही भी की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृ.क/न.नि.भो./2026

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, झील संरक्षण प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ।


 अधीक्षण यंत्री
 झील संरक्षण प्रकोष्ठ
 नगर पालिक निगम, भोपाल
 भोपाल, दिनांक


 अधीक्षण यंत्री
 झील संरक्षण प्रकोष्ठ
 नगर पालिक निगम, भोपाल

प्रतिवेदन

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 87/2026(CZ) (सोऊ मोटो टाईटल्ड साजिश की भेंट चढ़ रहा शाहपुरा तालाब स्टाप डेम तोड़कर बहाया जा रहा पानी अपेयर ईन नव दुनिया दिनांक 18.02.2026) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.04.2026 के अनुपालन बाबत।

उपरोक्तानुसार लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 87/2026(CZ) (सोऊ मोटो टाईटल्ड साजिश की भेंट चढ़ रहा शाहपुरा तालाब स्टाप डेम तोड़कर बहाया जा रहा पानी अपेयर ईन नव दुनिया दिनांक 18.02.2026) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.04.2026 में उल्लेखित पंचशील नाला, मनीषा मार्केट नाला तथा चूनाभट्टी नाला के संबंध में लेख है कि मनीषा मार्केट नाले के पास शाहपुरा छावनी क्षेत्रों के सीवेज को मनीषा मार्केट के पास स्थित सीवेज पम्प हाउस में जोड़ा गया है जहाँ से सीवेज को पम्प कर सब्जी फार्म दानापानी रोड़ स्थित 13 एम.एल.डी. एस.टी. पी. में उपचारित किया जाता है। इस नाले का पानी शाहपुरा तालाब में नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार शाहपुरा ए एवं बी सेक्टर का सीवेज शाहपुरा तालाब के पास निर्मित 2 एम.एल.डी. क्षमता के पम्प हाउस के माध्यम से पम्प होकर तथा इसी प्रकार शाहपुरा सी-सेक्टर चूना भट्टी क्षेत्र का सीवेज भी बंसल हॉस्पिटल के पीछे स्थापित 9.5 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. में उपचारित किया जाता है, पंचशील नाले का पानी एकांत पार्क में स्थापित 9.5 एम.एल.डी. क्षमता के ऑक्सीडेशन पॉन्ड में उपचारित होने के उपरांत ही शाहपुरा तालाब में मिलता है। अमृत 2.0 परियोजना के अन्तर्गत एकांत पार्क के पास 6 एम.एल.डी का नया एस.टी.पी. निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित है जिसके निर्माण के उपरांत किसी भी स्थान से सीवेज शाहपुरा तालाब में प्रवाहित नहीं होगा।


उदित गंग
अधीक्षक सत्री (जल कार्य)
नगर निगम, भोपाल



124

(प्रपत्र-02)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

(झील संरक्षण प्रकोष्ठ)

कमांक / डी.स.प्रको. / न.नि.भो. / 2025-26

भोपाल दिनांक

// कार्यादेश //

प्रति,

मेसर्स एस.एस. इंजीनियरिंग
वर्क्स लिमिटेड
डी-122, सेक्टर 7 नोएडा 201301

- विषय :- Rejuvenation of Shahpura Lake under AMRUT 2.0 Scheme at Bhopal
- संदर्भ :- 1. निविदा कमांक 2024_UAD_389782_1 दिनांक 20.12.2024।
2. मेयर-इन-काउंसिल की स्वीकृति क्र. 12 दिनांक 09/06/2025।
3. इस कार्यालय द्वारा जारी एल.ओ.ए. क्र. 39 दिनांक 19/06/2025।
4. आपके द्वारा संपादित अनुबंध कमांक 01014326062025013174 दि. 26.06.2025।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम निविदा का मेयर-इन-काउंसिल द्वारा स्वीकृत की गई है। आपको निर्देशित किया जाता है, कि उक्त कार्य तत्काल प्रारंभ कर निर्धारित समय-सीमा एक वर्ष में पूर्ण करें।

विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनु. लागत	दर	कुल राशि
1.	Rejuvenation of Shahpura Lake under AMRUT 2.0 Scheme at Bhopal (शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी अनुसार)	रुपये 9,16,90,694/-	Building UADD SOR 2021 Rate 9.99% Below	रुपये 8,25,30,793/-
			Total Rs.	8,25,30,793/-
			Add 18% GST	1485542/-
			कुल योग रुपये	9,73,86,337/-

(रुपये नौ करोड तेहत्तर लाख छयासी हजार तीन सौ सैतीस केवल)

नोट :- उक्त व्यय अमृत 2.0 योजनांतर्गत प्राप्त राशि पर भारित होगा।

कार्यपालन यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम, भोपाल (म.प्र.)
भोपाल, दिनांक 30/6/25

पृ० कमांक 42 / डी.स.प्रको. / न.नि.भो. / 2025-26

प्रतिलिपि :-

1. सहायक यंत्री झील संरक्षण प्रकोष्ठ नगर निगम भोपाल की ओर सूचनाार्थ।

Revised
Paul
30/6/25

भोपाल, दिनांक 30/6/25
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम, भोपाल (म.प्र.)



कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
(झील संरक्षण प्रकोष्ठ)

नवीन मुख्यालय अटल भवन, तुलसी नगर

क्र. 83 / झी.सं.प्रको. / न.नि.भो. / 2026
प्रति,

भोपाल दिनांक 10/7/26

अनुविभागीय अधिकारी
डी.टी. नयन वृत्त, कोलार
भोपाल

विषय :- शाहपुरा तालाब का सीमांकन करने के संबंध में।
संदर्भ :- मान् एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क. (CZ) ओ.ए. 87 / 2026।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) में प्रकरण कमांक (CZ) ओ.ए. 87 / 2026 प्रचलित है। उक्त प्रकरण में तालाब के जलभराव क्षेत्र एवं उससे लगे बफर जोन पर किये गये निर्माण/अतिक्रमण एवं अन्य विषय का लेख है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) को संबंधित प्रकरण का उत्तर हेतु शाहपुरा तालाब के अधिकतम (FTL) का सीमांकन किया जाना अनिवार्य है।

अतः शाहपुरा तालाब का सीमांकन कराने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे समय सीमा में प्राक्कलन का प्रतिउत्तर एवं निराकरण किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षक यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

भोपाल दिनांक.....

पृ. क्र. / झी.सं.प्रको. / न.नि.भो. / 2026

प्रतिपि :-

1. आयुक्त महोदया नगर निगम भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक यंत्री झील नगर निगम भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षक यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

(झील संरक्षण प्रकोष्ठ)

नवीन मुख्यालय अटल भवन, तुलसी नगर

क्र.....०५...../झी.सं.प्रको./न.नि.भो./2026

भोपाल दिनांक..10/07/26

प्रति,

मुख्य नगर निवेशक
भवन अनुज्ञा शाखा
नगर निगम भोपाल

- विषय :- वेटलैण्ड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के अनुसार शाहपुरा झील की सीमा से 50 मी. के दायरों में निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु।
- संदर्भ :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्र. 87/2026 (CZ) श्री नितिन सक्सेना विरुद्ध म.प्र. राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य के आदेश दिनांक 17.04.2026 के संबंध में।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्र. 87/2026 (CZ) के संबंध में दिनांक 17.04.2026 को पारित ओदश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है एवं लेख है कि शाहपुरा तालाब वेटलैण्ड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 अनुसार तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि निगम अधिवक्ता के माध्यम से मान् राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को इस संबंध में अवगत कराया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



अधीक्षक यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

भोपाल दिनांक.....

पृ. क्र...../झी.सं.प्रको./न.नि.भो./2026

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदया नगर निगम भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त झील संरक्षण नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक यंत्री झील नगर निगम भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीक्षक यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

क्रमांक 9533 /क्षेका/प्रनिबो/2026
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/7/2026

सदस्य सचिव,

म. प्र. राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (MPSWA),

पर्यावरण आयोजना एवं समन्वय संगठन,

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,

भोपाल - 462016 (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल में प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) नितिन सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में जानकारी/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने बाबत।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) में दिनांक 17.04.2026 को पारित आदेशानुसार प्रकरण शाहपुरा झील के संरक्षण, झील क्षेत्र में कथित अतिक्रमण, अवैध निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में अवरोध, झील के जल प्रदूषण, आर्द्रभूमि (Wetland) नियमों के अनुपालन तथा शाहपुरा झील के सीमांकन एवं पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है। प्रकरण में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.07.2026 को स्थल निरीक्षण किया गया। प्रकरण के परीक्षण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किए जाने हेतु कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. शाहपुरा झील को आर्द्रभूमि (Wetland) के रूप में चिन्हित/अधिसूचित किए जाने से संबंधित अभिलेख एवं विवरण।
2. शाहपुरा झील की वेटलैंड बाउंड्री, सीमांकन (Demarcation) एवं जोन ऑफ इन्फ्लुएंस (Zone of Influence) से संबंधित उपलब्ध मानचित्र, अभिलेख एवं अध्ययन।
3. आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत शाहपुरा झील के संबंध में की गई कार्यवाही, अनुपालन प्रतिवेदन तथा उपलब्ध एक्शन प्लान।
4. प्रकरण से संबंधित विभाग के पास उपलब्ध अन्य कोई सूचना, प्रतिवेदन, अध्ययन, पत्राचार अथवा अभिलेख।

उक्त जानकारी एवं संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय को 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि संयुक्त समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत किया जा सके।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी



म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण
(पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016
Website- www.swa.mp.gov.in
फोन : (0755) 2466859
पत्र क्र. 988 / MPSWA/2026
दिनांक : 8/7/26

✓ प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

विषय - शाहपुरा झील, भोपाल के संबंध में उपलब्ध जानकारी बावत ।
सन्दर्भ - MPPCB के पत्र क्र. 2533 दिनांक 6-7-2026 (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय NGT में विचाराधीन मूल आवेदन क्रमांक 87/2026 (श्री नितिन सक्सेना विरुद्ध म.प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एवं अन्य) के संबंध में शाहपुरा झील में अतिक्रमण एवं अन्य निर्माण कार्यों के संदर्भ में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चाही गई बिंदु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 की जानकारी सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है ।

अतः उपर्युक्त जानकारी एवं संलग्न अभिलेखों से अवगत होने का कष्ट करें ।

(अयाज़ खान)

प्रशासनिक अधिकारी, एम्को

List of Wetlands in Bhopal District for Ground Truthing and Demarcation status

S. No.	Wetland ID	Wetland Type	Wetland Name	Sub Category	Location	District Name	Tehsil Name	Village Name	Latitude	Longitude	Existing Area (Hec.)	Surveyed Area (Hec.)
1	MP0002222	Human-Made	हमीज फलवान का सरोवर	Aquaculture pond	मुरासिया खर्द, साहिबपुर	Bhopal	Huzur	Jagdishpur	23.372069	77.4311544	9.0537	8.943
2	MP0002191	Natural	unnamed	Permanent freshwater	matasya vibh	Bhopal	Huzur	Kolara sultanabad	23.2179494	77.3827355	2.627	2.63
3	MP0002178	Human-Made	Kalyanpura talab	Dam/Reservoir	near hanuma	Bhopal	Berasia	Kalayanpura	23.76800861	77.32756755	72.6583	72.66
4	MP0002190	Natural	manit lake	Seasonal/ intermittent	manit campu	Bhopal	Huzur	Kolara sultanabad	23.21214451	77.39975947	3.5099	3.51
5	MP0002166	Natural	khadampur talab	Seasonal/ intermittent	khadampur	Bhopal	Berasia	Khadampur	23.48455048	77.37447357	17.2536	22.031
6	MP0002231	Human-Made	talaab	Tank/Lake	panchayat bh	Bhopal	Berasia	Dillod	23.5074964	77.3688486	4.8238	4.82
7	MP0002159	Human-Made	Maholi Damkheda Sew	Tank/Lake	Maholi Damk	Bhopal	Huzur	Maholi	23.287253	77.4543976	12.9007	12.9
8	MP0002226	Human-Made	खररी	Tank/Lake		Bhopal	Berasia	Berkhedi kalan	23.4365359	77.4201784	7.6345	6.73
9	MP0002155	Human-Made	chhota talaab	Tank/Lake	lower lake	Bhopal	Huzur	Bhopal (m corp.)	23.2501474	77.4105073	61.7777	66.5
10	MP0002173	Natural	basai talab	Seasonal/ intermittent	mada imli	Bhopal	Berasia	Basai	23.6369828	77.4426791	24.0879	6.531
11	MP0002223	Human-Made	तालाब प्राद्वितवाडा	Tank/Lake	शेखरा कांढ	Bhopal	Huzur	Pura Chhindwara	23.3927877	77.2598573	7.5039	23.525
12	MP0002153	Natural	shahpura lake	Permanent Lake	Manisha Mar	Bhopal	Kolar	Shahpura	23.2015461	77.4247675	47.2205	47.22
13	MP0002205	Human-Made	bhoj wetland	Tank/Lake	new jail	Bhopal	Huzur	Badbal	23.3066863	77.3698327	4.4655	20.436
14	MP0002216	Human-Made	sukhi sevaniya Talab	Tank/Lake	sukhi sevaniya	Bhopal	Huzur	Sukhi sewaniya	23.3527705	77.4888472	2.2976	4.77
15	MP0002156	Human-Made	Bhoj Wetland	Tank/Lake	kalma park	Bhopal	Huzur	Bhopal (m corp.)	23.2546049	77.3982594	3291.9909	4030.795
16	MP0002230	Human-Made	kreshar khadan	Aquaculture pond	kreshar talab	Bhopal	Berasia	Chandbad kadim	23.46304321	77.38600922	6.563	4.62
17	MP0002176	Human-Made	Kolukhedi kala Talab	Dam/Reservoir	Gram Kolukh	Bhopal	Berasia	Kolukhedi kalan	23.6881239	77.2459092	273.7953	273.8
18	MP0002171	Natural	langarpur talab	Seasonal/ intermittent	langarpur tala	Bhopal	Berasia	Langarpur	23.59625053	77.53810992	18.2472	19.58
19	MP0002204	Human-Made	bhoj wetland	Tank/Lake	new jail	Bhopal	Huzur	Badbal	23.30231	77.3725767	2.2647	20.436
20	MP0002180		kaliyasot			Bhopal	Kolar	Kalapani	23.097368	77.388336	2.5191	2.52
21	MP0002239		केशर गडडा			Bhopal	Berasia	Imaliya swaroop	23.6397619	77.3977488	2.3081	0.405
22	MP0002195	Human-Made	Motiya talaab	Tank/Lake	tajul masjid	Bhopal	Huzur	Bhopal (m corp.)	23.2629143	77.3917379	5.5949	6.13
23	MP0002233	Natural	Talab Junapani	Permanent Lake	Village Junap	Bhopal	Berasia	Junapani	23.5161687	77.2995025	3.9041	2.915
24	MP0002228	Human-Made	NAMDARPURA TALAB	Tank/Lake	Namdarpura	Bhopal	Berasia	Namdarpura	23.4530304	77.3187979	8.8894	27.07
25	MP0002179	Human-Made	Manapura Talab	Tank/Lake	Gram Mainap	Bhopal	Berasia	Mainapura	23.7927147	77.2963827	19.0558	3.89
26	MP0002164	Human-Made	Madhuwan talab	Tank/Lake	Khedi	Bhopal	Berasia	Khedi	23.4649266	77.3278314	25.1193	21.02
27	MP0002182	Human-Made	kaliyasot	Tank/Lake	royal farm	Bhopal	Kolar	Thua kheda	23.1080842	77.4244767	2.2207	2.22
28	MP010626	Human-Made	तालाब प्राद्वितवाडा नया	Tank/Lake	शेखरा गाम अ	Bhopal	Huzur	Pura Chhindwara	23.4011064	77.2619952	5.7805	3.584
29	MP0002227	Human-Made	तालाब	Tank/Lake	पठार	Bhopal	Berasia	Bhuniyai	23.4493017	77.2970809	2.8417	3.295
30	MP0002189	Human-Made	daya Sagar talab	Tank/Lake	neelbad	Bhopal	Huzur	Neelbad	23.1937885	77.3402426	4.267	4.18
31	MP0002232	Natural	तालाब	Permanent Lake	हनुमान मंदिर	Bhopal	Berasia	Rondia	23.5160262	77.3267717	7.8217	10.114
32	MP0002183	Human-Made	kaliyasot	Aquaculture pond	mahawadiya	Bhopal	Kolar	Mahawadiya	23.1128838	77.3884452	7.9143	7.91

तहसीलदार महोदय,
तहसील-कोलार,
जिला-भोपाल (ग.प्र.)

विषय:- ग्राम शाहपुरा स्थित शाहपुरा लेक के ड्रेजिंग के सीमांकन
का बिन्दु ।

संदर्भ:- आपके द्वारा समक्ष में दिये गये मौखिक निर्देश दिनांक
20/02/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित निर्देश के
परिपालन में ग्राम शाहपुरा स्थित शाहपुरा लेक के ड्रेजिंग
का स्थल पर ड्रेजिंग स्टेशन मशीन की सहायता से
सीमांकन किया गया।

सीमांकन उपरान्त ग्राम शाहपुरा के संचारित खसरा
अभिलेख के अनुसार खसरा क्रमांक 83 अंश भाग, 84 अंश भाग,
85 अंश भाग, 86 अंश भाग, 87 अंश भाग, 92, 93, 94, 95, 96 अंश
भाग, 98 अंश भाग, 107 अंश भाग, 108 अंश भाग, 109 अंश भाग, 110
अंश भाग, 111 अंश भाग, 112, 113, 124 अंश भाग, 125, 126,
316, 124, 127, 128, 129 अंश भाग, 130, 131 अंश भाग, 132 अंश भाग
133, 134, 135 की भूमि पर वर्तमान में शाहपुरा लेक का पाबी होना
पाया गया। उक्त शाहपुरा लेक का बाहरी सीमाओं का स्थल
पर सीमांकन की हल्का पट्टवारी ग्राम शाहपुरा के साथ किया
जाकर क्षेत्र पुस्तिका एवं क्षेत्र नक्शा ^{सामग्री} प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन अग्रिम आवश्यक
कार्यवाही हेतु महोदय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

- ① क्षेत्र पुस्तिका
- ② क्षेत्र नक्शा

(ओलोक मद्र)
राजस्थान निरीक्षक
जमीन कोलार जिला भोपाल





प्रति,

समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश एवं
अध्यक्ष जिला वेटलैंड संरक्षण समिति

विषय - प्रदेश में जिला स्तर पर वेटलैंड नियम, 2017 की धारा के प्रावधान लागू करने 4 (2) बावत्।

सन्दर्भ: 1. माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।
2. सदस्य सचिव, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, एपको पत्र दिनांक 03/10/2025

कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 07/03/2025 को सम्पन्न पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 2 (i) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें "प्रदेश के तालाबों के चारों ओर चिन्हित प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, जिस पर सख्ती से तत्काल रोक लगायी जाये तथा जो अवैध निर्माण किये जा चुके हैं, उनको हटाने की कार्यवाही की जाये" के निर्देश जारी किये गये हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय प्रकरण WP (Civil) No.230/2001M.K. Balakrishnan Vs Union of India & Ors. में दिए गये आदेश के पालन में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा Office Memorandum दिनांक 08.03.2022 जारी किया गया है, जिसके अनुसार वेटलैंड नियम, 2017 की धारा 4 (2) में उल्लेखित प्रतिबंध उन सभी वेटलैंड्स (2.25 ha. से अधिक क्षेत्रफल) पर लागू होंगे, जो ISRO द्वारा तैयार वेटलैंड इन्वेंटरी की सूची में शामिल हैं।

ISRO, वेटलैंड इन्वेंटरी (2021) अनुसार प्रदेश में 13565 वेटलैंड्स (2.25 ha. से अधिक क्षेत्रफल) हैं, जिनकी जिलेवार सूची सभी जिलों को प्रेषित की गयी है तथा हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में जिला प्रशासन द्वारा 2.25 ha. से अधिक क्षेत्रफल के वेटलैंड्स का भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन का कार्य संपादित कर आवश्यक दस्तावेज मोबाईल App पर अपलोड किये गये हैं। जिलेवार वेटलैंड्स की भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन की जानकारी Wetland Dashboard लिंक <https://geoportal.mp.gov.in/epco/login.aspx> पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

उपरोक्त के दृष्टिगत कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में जिलों की सीमा में स्थित वेटलैंड्स/ तालाब, जो 2.25 ha. से अधिक क्षेत्रफल के हो, उन सभी पर वेटलैंड नियम 2017 की धारा 4 (2) में उल्लेखित प्रावधान (प्रतिबंध) लागू करवाने संबंधी कार्यवाही करने का कष्ट करें। वेटलैंड नियम 2017 की प्रति, भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


(दीपक अर्या)
सदस्य सचिव,
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण



पृ.क्र 1313 / 2025 दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
3. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, मंत्रालय भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
4. अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
5. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
6. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
7. प्रमुख सचिव, मत्स्य एवं मछुआ कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल को कृपया सादर सूचनार्थ ।
8. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को कृपया सूचनार्थ ।
9. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को कृपया सूचनार्थ ।


सदस्य सचिव,
राज्य वेटलैंड प्राधिकरण



म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण
(पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016

Website- www.swa.mp.gov.in

फोन : (0755) 2466859

पत्र क्र. 41090/MPSWA/2023

दिनांक : 31/8/23

✓ प्रति

आयुक्त,
नगर निगम, भोपाल
भोपाल, म. प्र.

विषय - वेटलैण्ड नियम, 2017 के परिपालन बाबत।

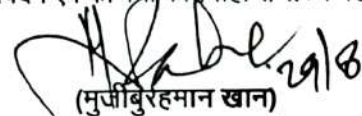
सन्दर्भ - श्री नितिन सक्सेना, आवेदक, भोपाल द्वारा मुख्य सचिव, म. प्र. शासन को प्रेषित ईमेल दि. 23/8/2023।

उपरोक्त संदर्भित ईमेल एवं अखबार की प्रति का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। आवेदक द्वारा पत्रिका अखबार में प्रकाशित खबर दिनांक 17/8/2023 के सन्दर्भ में शाहपुरा तालाब, भोपाल पर नगर निगम, भोपाल द्वारा सिल्ट निकालने का कार्य संज्ञान में लाया गया है (संलग्न-1)।

अवगत है कि भोज वेटलैण्ड, भोपाल एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट वेटलैण्ड है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वेटलैण्ड नियम 2017, भोज वेटलैण्ड पर स्वतः लागू होते हैं। वेटलैण्ड नियम को क्रियाशील करने के लिए पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन द्वारा 16 मार्च 2022 को एक प्रशासकीय आदेश जारी किया गया है जिसमें प्रतिबंधित, विनियमित एवं अनुज्ञात गतिविधियाँ निर्धारित की गयी हैं (संलग्न-2)।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में भारत सरकार द्वारा वेटलैण्ड नियम 2017 की धारा 4 (2) में उल्लेखित प्रतिबंधात्मक गतिविधियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए Office Memorandum जारी किया गया है (संलग्न-3)।

उक्त प्रकरण के संबंध में नियमानुसार स्थल निरीक्षण पर आधारित तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गयी कार्यवाही से राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।



(मुजीबुरहमान खान)

कार्यपालन संचालक, एफको एवं
सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

पृ. क्र. / 2023 दिनांक

- प्रतिलिपि:-
1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म. प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास, म. प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. कलेक्टर, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 5. श्री नितिन सक्सेना, आवेदक A-509, अशोका गार्डन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन संचालक, एफको एवं
सदस्य सचिव, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण



Nitit Saxena <nitinsaxena0578@gmail.com>

भोपाल नगर निगम के ज़िम्मेदारों द्वारा शाहपुरा झील में जलीय जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचाने के संबंध में त्वरित कार्यवाही बाबत।

Wed, 23 Aug at 2:56 PM

Nitit Saxena <nitinsaxena0578@gmail.com>

To: <cs@mp.nic.in>, <cs@nic.in>, <mpswa.epco.gov@gmail.com>

Cc: <ed.epco@mp.gov.in>, <romppcb_bpl@rediffmail.com>, <ropcb-bhopal@mp.gov.in>

प्रति,

श्रीमान इक़बाल सिंह बैस

मुख्य सचिव एवं पदेन सचिव

स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी मप्र

भोपाल

महोदय,

भोपाल स्थित शाहपुरा तालाब पर इन दिनों भोपाल नगर निगम द्वारा तालाब की सिल्ट निकाली जा रही है। यह महीना जल जीवों का प्रजनन का वक्त है और ऐसे में सिल्ट निकालना एक्वाटिक जीवों के प्रजनन साइकिल को नुकसान करना होगा।

सिल्ट निकालने हेतु वेटलैंड अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी की भी अनुमति नहीं ली गई है।

ऐसे में भोपाल नगर निगम द्वारा किया जा रहा यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है।

अतः हमारी शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच कर नियमानुसार भोपाल नगर निगम को कार्य करने से रोकने एवम संबंधित ज़िम्मेदार अधिकारी पर वाटर एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट, वेटलैंड रूल्स के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करवाए।

संलग्न:- अखबार में प्रकाशित खबर एवं स्थल की वीडियो क्लिप।

नितिन सक्सेना

(वेटलैंड मित्र)

A-509 अशोका गार्डन भोपाल

9617666944

प्रतिलिपि

- 1) सदस्य सचिव EPCO स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की ओर त्वरित सज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- 2) श्री बृजेश शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर त्वरित कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

[Quoted text hidden]

image_6487327.JPG, IMG_0.MOV, IMG_0.MOV



138

क्षेत्रीय कार्यालय

Annexure-9



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Telephone:- 0755-2466392 Email:- romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2534 /क्षेका/प्रनिबो/2026

भोपाल, दिनांक 6/17/2026

प्रति,

संयुक्त संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश,

पर्यावरण परिसर. ई-5, अरेरा कालोनी,

भोपाल - 462016 (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल में प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) नितिन सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में जानकारी/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने बाबत।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) में दिनांक 17.04.2026 को पारित आदेशानुसार प्रकरण शाहपुरा झील के संरक्षण, झील क्षेत्र में कथित अतिक्रमण, अवैध निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में अवरोध, झील के जल प्रदूषण, आर्द्रभूमि (Wetland) नियमों के अनुपालन तथा शाहपुरा झील के सीमांकन एवं पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है। प्रकरण में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.07.2026 को स्थल निरीक्षण किया गया। प्रकरण के परीक्षण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किए जाने हेतु कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. शाहपुरा शाहपुरा झील एवं समीपस्थ क्षेत्र से संबंधित प्रचलित विकास योजना (Development Plan)/मास्टर प्लान, भूमि उपयोग (Land Use) तथा बफर क्षेत्र संबंधी प्रावधानों के अभिलेख।
2. शाहपुरा झील के आसपास बफर जोन में निर्माण/विकास कार्यों हेतु प्रदान की गई स्वीकृतियों, अनुमतियों अथवा भूमि उपयोग परिवर्तन (Change of Land Use) से संबंधित उपलब्ध अभिलेख।
3. शाहपुरा झील के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश, पत्राचार, प्रतिवेदन अथवा अन्य उपलब्ध अभिलेख।
4. प्रकरण से संबंधित विभाग के पास उपलब्ध अन्य कोई सूचना, प्रतिवेदन, अध्ययन, पत्राचार अथवा अभिलेख।

उक्त जानकारी एवं संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय को 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि संयुक्त समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत किया जा सके।

(नीतेश चौरसिया)

क्षेत्रीय अधिकारी

**कार्यालय सयुक्त सचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-रायसेन, मध्यप्रदेश**

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक / /O.A.87/2026(CZ) /जिका/2026

भोपाल दिनांक - / /2026

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5,
अरेरा कालोनी, भोपाल - 462016

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल में प्रकरण क्रमांक O.A. 87/2026 (CZ) नितिन सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में जानकारी / अभिलेख उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- 1. आपके पत्र क्रमांक 2534/क्षेका/प्र नि बो /2026 भोपाल दिनांक 06.07.2026

2. कार्यालय का पत्र क्रमांक I/1150045/OA87/ 2026 भोपाल दिनांक 09.07.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय के पूर्व में प्रेषित पत्र क्रमांक I/1150045/OA87/ 2026 भोपाल दिनांक 09.07.2026 में संशोधन करते हुए नवीन पत्र आपकी और प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल में प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) नितिन सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में शाहपुरा झील के संबंध में आपके द्वारा वांछनीय गई जानकारी निम्नानुसार है:-

1. शाहपुरा झील एवं समीपस्थ क्षेत्र से संबंधित प्रचलित विकास योजना (Development Plan)/मास्टर प्लान, भूमि उपयोग (Land Use) तथा बफर क्षेत्र संबंधी प्रावधानों के अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत हैं :-

i. भोपाल विकास योजना, 2005 के भूमि उपयोग मानचित्र में शाहपुरा तालाब के अंकन की प्रति।

ii. भोपाल विकास योजना, 2005 में शाहपुरा तालाब के किनारे प्रस्तावित खुले क्षेत्र (Open Area) के प्रावधान की प्रति।

iii. दिनांक 07.07.2026 को मध्यप्रदेश शासन के जियोपोर्टल (<https://geoportal.mp.gov.in/MPGeo/>) पर उपलब्ध भोपाल विकास योजना 2005 के भूमि उपयोग मानचित्र एवं उपग्रह मानचित्र के आधार पर स्क्रीनशॉट लेकर तैयार किए गए मानचित्र की प्रति।

2. शाहपुरा तालाब के आसपास 33 मीटर बफर क्षेत्र के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा उक्त क्षेत्र में किसी भी निर्माण अथवा विकास कार्य हेतु कोई स्वीकृति अथवा अनुमति प्रदान नहीं की गई है। साथ ही, भोपाल विकास योजना, 2005 में उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार का भूमि उपयोग उपांतरण (Change of Land Use) भी नहीं किया गया है।

3. शाहपुरा तालाब के संबंध में उपलब्ध दिशा-निर्देश, पत्राचार, प्रतिवेदन, प्रचलित विकास योजना (Development Plan)/ मास्टर प्लान तथा बफर क्षेत्र संबंधी प्रावधानों के अभिलेख के संबंध में लेख है कि इस कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध भोपाल विकास योजना, 2005 के भूमि उपयोग मानचित्र में

शाहपुरा तालाब के अकन को प्रांत तथा शाहपुरा तालाब के किनारे प्रस्तावित खुले क्षेत्र के प्रावधान को प्रांत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

4. प्रकरण से संबंधित इस कार्यालय में उपलब्ध अन्य सूचना प्रतिवेदन अध्ययन, पत्राचार एवं अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन हो :-

i. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 01.07.2026 को ई-मेल के माध्यम से शाहपुरा तालाब की क्षेत्र पुस्तिका (Field Book) इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र पुस्तिका के साथ संलग्न राजस्व निरीक्षक तहसील कोलार द्वारा तहसीलदार, तहसील कोलार को प्रेषित पत्र पर राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। (प्रति संलग्न)

ii. उक्त क्षेत्र पुस्तिका (Field Book) के आधार पर शाहपुरा तालाब का डिजिटाइजेशन कर शाहपुरा तालाब तथा उसके 50 मीटर बफर क्षेत्र की GIS आधारित Shape File एवं KML File तैयार कर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1/1134286/2026/विधि/जिका/नग्रानि/2026, भोपाल, दिनांक 02.07.2026 के माध्यम से MPCST को सूचित किया गया था। (प्रति संलग्न)

iii. MPCST को उपलब्ध कराई गई क्षेत्र पुस्तिका (Field Book) के आधार पर शाहपुरा तालाब तथा उसके 50 मीटर बफर क्षेत्र को उपग्रह मानचित्र पर अधिरोपित (Superimpose) करते हुए मानचित्र इस कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से दिनांक 08.07.2026 उपलब्ध कराया गया, जिसकी प्रति उक्त ई-मेल के साथ संलग्न कर उल्लेख किया गया है कि, वर्तमान सीमांकन शाहपुरा तालाब की संपूर्ण सीमा को प्रदर्शित नहीं करता है जो प्रेषित केएमजेड फाईल से स्पष्ट है।

अतः अनुरोध है कि राजस्व विभाग/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा शाहपुरा तालाब का पुनः सीमांकन कर आवश्यक दस्तावेज राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा शाहपुरा तालाब का GIS आधारित मानचित्र तैयार किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Neeraj Anand Likhari
Date: 14-07-2026
13:03:03

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-रायसेन, मध्यप्रदेश



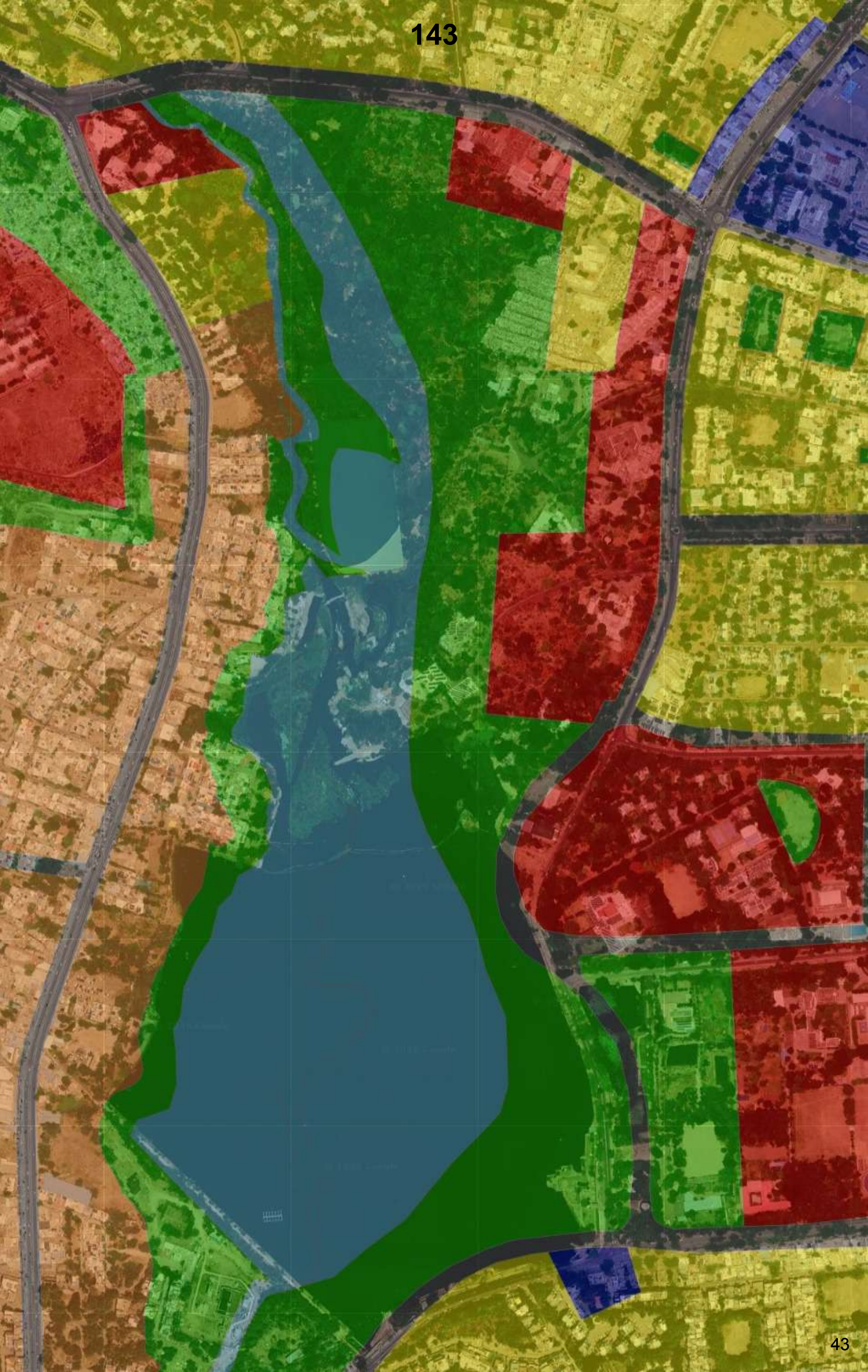
संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

4.47 संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नलिखित प्रावधान अनुसार नियंत्रित होंगी :—

- (अ) बड़े तालाब के किनारे से न्यूनतम 50 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रखा जायेगा। अन्य तालाबों के संदर्भ में यह प्रावधान किया जाता है कि तालाबों के किनारे से 33 मीटर का क्षेत्र रखा जावेगा। इस श्रेणी में जो तालाब सम्मिलित है, वे निम्नानुसार हैं:—
 - कलियासोत
 - शाहपुरा (तृतीय तालाब) (unbundled lake edge)
 - केरवा
 - हताईखेड़ा
 - लहारपुर एवं
 - छोटा तालाब
- (ब) कलियासोत नदी के किनारे से दोनों ओर 33 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जायेगा एवं इसमें वृक्षारोपण किया जावेगा।
- (स) मुख्य नहर के मध्य से 30 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जायेगा।
- (द) नाला एवं शाखा नहर के दोनों ओर 3-3 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जावेगा।
 - नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठने की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है।
 - प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक/विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा। इन स्मारकों के रख-रखा को प्रोत्साहित किया जाएगा।
 - बड़ी एवं छोटी झील में मल प्रवाह को अनुमति नहीं दी जावेगी।
 - पेट्रोलियम आधारित उर्वरकों का उपयोग कर जल स्रोतों के केचमेंट एरिया में कृषि कार्य को प्रतिबंधित किया जायेगा जिससे कि बड़ी एवं छोटी झील में जलीय घासफूस एवं अन्य ऐसी गतिविधियाँ जो भूमि कटाव करती हैं, को रोका जा सके। संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक उपाय किया जाना चाहिए।
 - नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के निश्चेष्ट आमोद-प्रमोद या प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे।
 - झीलों के संरक्षण एवं पानी की गुणवत्ता बनाए रखने संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।
 - झील के किनारे के क्षेत्रों में अपने भवनों को व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक, मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाये, जोड़ना होगा।
 - नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान भवनों में आच्छादित क्षेत्र में या एफ. ए. आर. में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी बशर्ते कि पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी हो।
 - संवेदनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के संग्रहण एवं विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे:—
 - ऐतिहासिक महत्व
 - नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन
 - प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हों, तो भी
 - समय-समय पर उत्खनित खोजी गई विरासतीय भवन।

नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन

4.48 सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से विरासत महत्व के स्मृति चिन्हों के संरक्षण एवं सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए। जब तक इस प्रकार का अध्ययन एवं प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु तैयार होते हैं तब तक सक्षम प्राधिकारी



माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय क्षेत्रीय
पीठ, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ)
Nitin Saxena Vs. MP State Wetland
Authority & Ors. एवं प्रकरण क्रमांक 57/2026
(CZ) के संबंध

maheshwari.hariom < maheshwari.hariom@mp.gov.in >

ro mppcb bpl < romppcb_bpl@rediffmail.com >

Wed, 01 Jul 2026 1:46:53 PM +0530

To "maheshwari.hariom"<maheshwari.hariom@mp.gov.in>

Respected Sir,
Please find the attached file/s.....

Thanks & Regards Regional Office, M.P. Pollution Control Board Bhopal

1 Attachment(s)

Shahapura_Seemankan_Repo...
825.4 KB

तहसीलदार महेरग,
तहसील-कोलार,
जिला-भोपाल (म.प्र.)

विषय:- ग्राम शाहपुरा स्थित शाहपुरा लोक के वेल्लेंड के सीमांकन
बाबत।

संदर्भ:- आपके द्वारा समक्ष में दिये गये मौखिक निर्देश दिनांक
20/02/2025

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित निर्देश के
परिपालन में ग्राम शाहपुरा स्थित शाहपुरा लोक के वेल्लेंड
के का स्थल पर टोपल स्टेशन मशीन की सहायता से
सीमांकन किया गया।

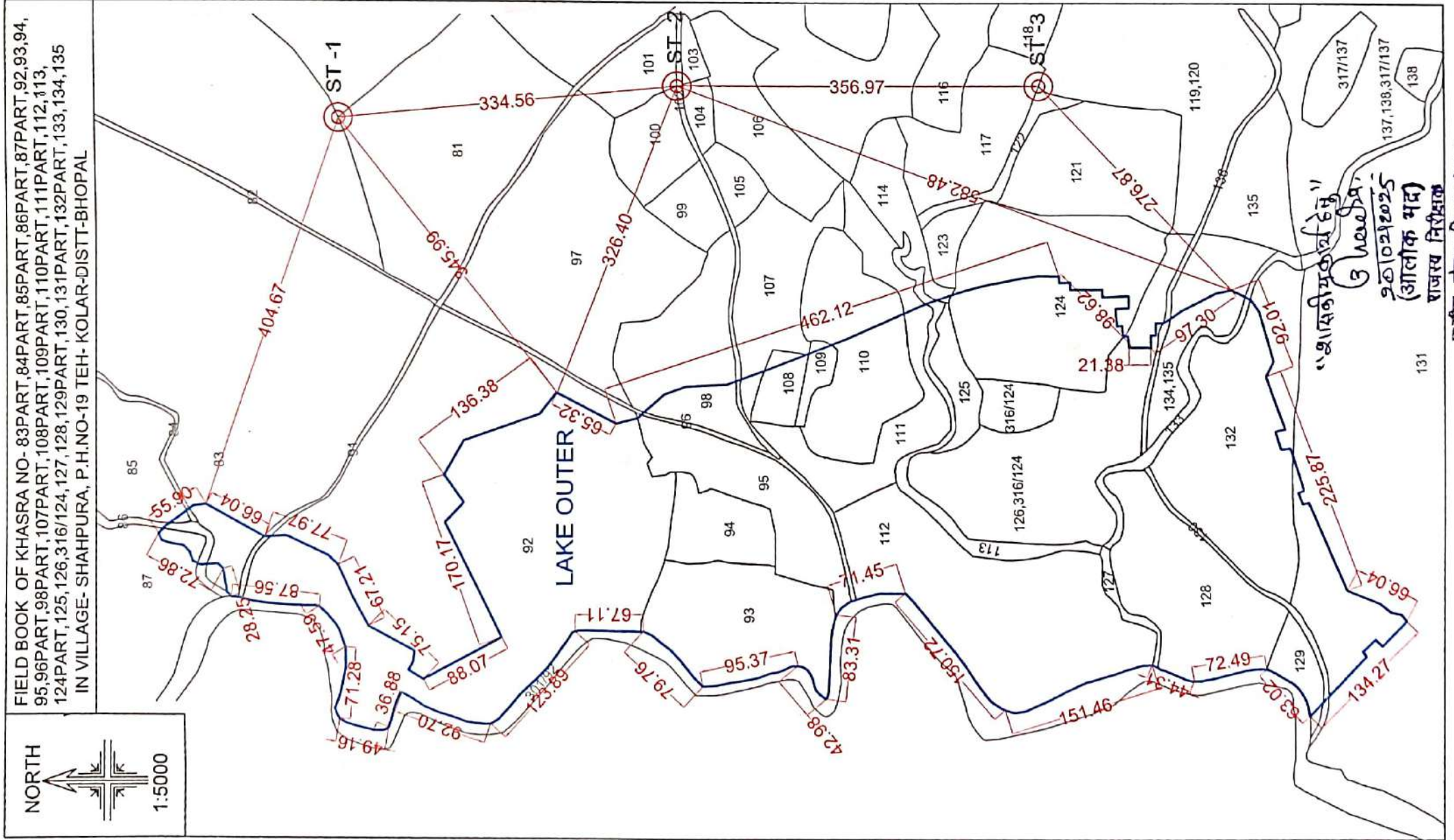
सीमांकन उपरान्त ग्राम शाहपुरा के संघारित खसरा
अभिबेख के अनुसार खसरा क्रमांक 83 अंश भाग, 84 अंश भाग,
85 अंश भाग, 86 अंश भाग, 87 अंश भाग, 92, 93, 94, 95, 96 अंश
भाग, 98 अंश भाग, 107 अंश भाग, 108 अंश भाग, 109 अंश भाग, 110
अंश भाग, 111 अंश भाग, 112, 113, 124 अंश भाग, 125, 126,
316, 124, 127, 128, 129 अंश भाग, 130, 131 अंश भाग, 132 अंश भाग
133, 134, 135 की भूमि पर वर्तमान में शाहपुरा लोक का पानी होना
पाया गया। उक्त शाहपुरा लोक का बाहरी सीमाओं का स्थल
पर सीमांकन के हल्का पटवारी भूमि शाहपुरा के साथ किया
जाकर क्षेत्र पुरस्का एवं क्षेत्र नक्शा ^{लेगाकर} प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

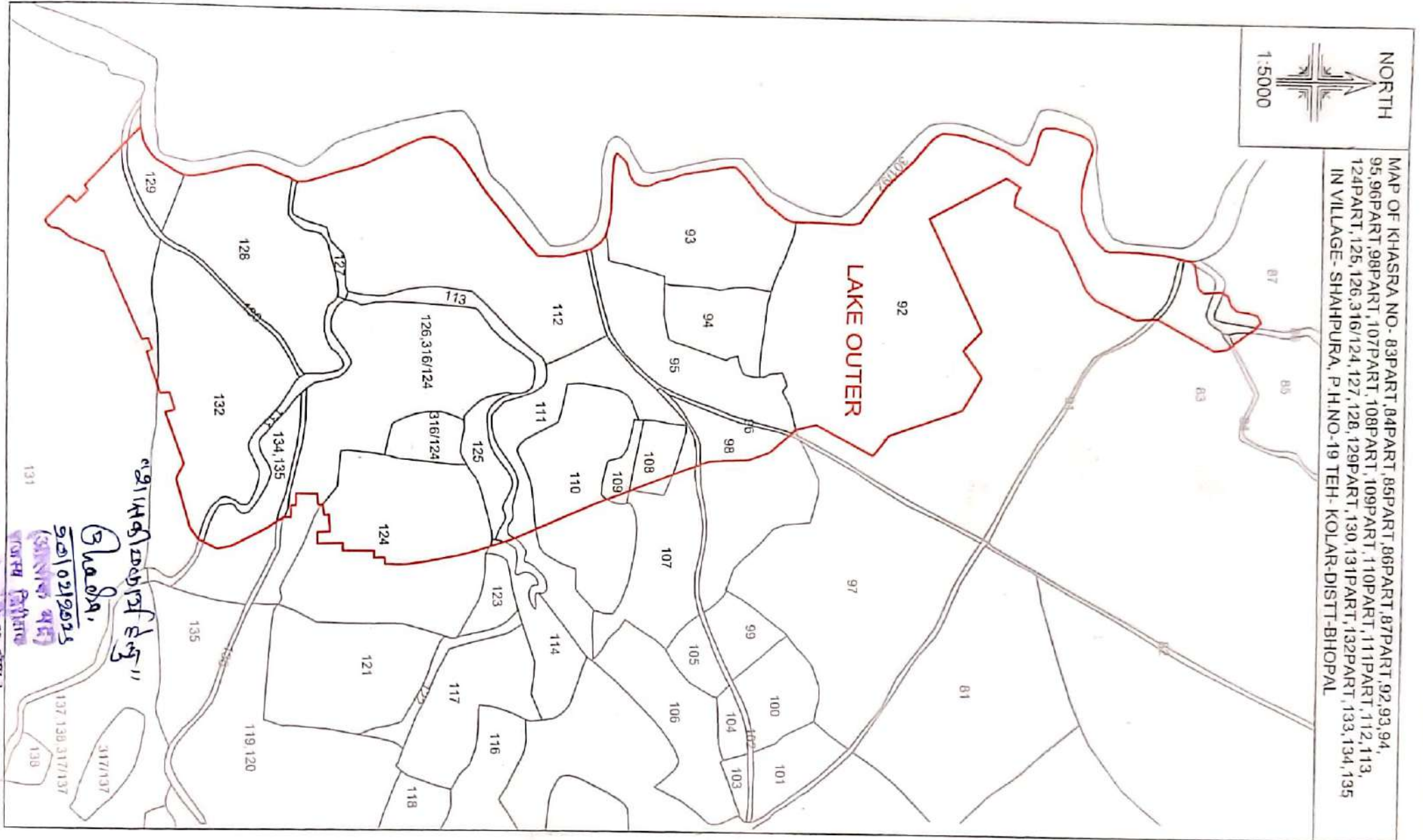
उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन अग्रिम आवश्यक
कार्यवाही हेतु महोदय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

- ① क्षेत्र-पुरस्का
- ② क्षेत्र नक्शा

(ओलीक नंद)
राजस्थ निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल





कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल-रायसेन, मध्य प्रदेश

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक/ I/1134286/2026/विधि/जिका/नगानि/2026 भोपाल, दिनांक/ 02-07-2026

प्रति,

डा विवेक कटारे

वरिष्ठ वैज्ञानिक

“सूदूर संवेदन उपयोग केन्द्र”

मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST),

नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.)

विषय : शाहपुरा तालाब के सीमांकन प्रतिवेदन का डिजिटाइजेशन कर GIS आधारित डिजिटल लेयर तैयार किए जाने एवं शाहपुरा तालाब की वर्तमान स्थिति को प्रस्तावित भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2047 में अद्यतन किये जाने बाबत।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि शाहपुरा तालाब संबंधी प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण उपरांत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 01.07.2026 को ई-मेल के माध्यम से शाहपुरा तालाब का सीमांकन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

वर्तमान में भोपाल विकास योजना (प्रारूप)-2047 का कार्य प्रचलन में है। शाहपुरा तालाब के सीमांकन प्रतिवेदन का डिजिटाइजेशन कर GIS आधारित डिजिटल लेयर तैयार किए जाने एवं शाहपुरा तालाब की वर्तमान स्थिति को प्रस्तावित भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2047 में अद्यतन किये जाने हेतु प्राप्त सीमांकन प्रतिवेदन आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

अतः अनुरोध है की उक्त सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर शाहपुरा तालाब को डिजिटाइज कर शाहपुरा तालाब तथा शाहपुरा तालाब के 50 मीटर का **buffer** की GIS आधारित **shape** एवं **kml file** यथा शीघ्र उपलब्ध करने का कष्ट करे ।

संलग्न :-सीमांकन प्रतिवेदन,

Digitally signed by
Neeraj Anand Likhari
Date: 02-07-2026
21:24:54

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल-रायसेन, मध्यप्रदेश



Dr. Vivek Katare

Head

Landuse & Urban Survey Division

क्रमांक / सीएसटी / आर.एस.ए.सी / एलयू-यूएसडी / 2026

दिनांक / 07 / 2026

प्रति,

संयुक्त संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला भोपाल-रायसेन, मध्यप्रदेश

ई-5 अरेरा कॉलोनी,

पर्यावरण परिसर, कचनार,

भोपाल 462016

विषय: शाहपुरा तालाब के सीमांकन प्रतिवेदन का डिजिटाइजेशन कर जीआईएस आधारित डिजिटल लेयर तैयार किए जाने एवं शाहपुरा तालाब की वर्तमान स्थिति को प्रस्तावित भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2047 में अद्यतन किए जाने बाबत।

संदर्भ: पत्र क्र. /I/1134286/2026 / विधि / जिका / नग्रानि / 2026 भोपाल दिनांक 02.07.2026।

विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रेषित शाहपुरा तालाब का सीमांकन प्रतिवेदन जीआईएस में कन्वर्ट करने के उपरांत यह पाया गया कि प्रेषित सीमांकन संपूर्ण शाहपुरा तालाब को समाहित नहीं करता है।

सीमांकन के उपरांत जीआईएस Shape File/KML File में सीमांकन सीमा के उपरांत 50 मीटर बफर के साथ डेटा बेस तैयार कर ईमेल के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है।

वर्तमान सीमांकन शाहपुरा तालाब की संपूर्ण सीमा को प्रदर्शित नहीं करता है जो प्रेषित केएमजेड फाईल से स्पष्ट है। अतः उक्त सीमांकन के आधार पर भोपाल विकास योजना 2047 में अद्यतन किया जाना संभव नहीं है।


(डॉ. विवेक कटारे)

क्रमांक 795 / सीएसटी / आर.एस.ए.सी / एलयू-यूएसडी / 2026

दिनांक 8 / 07 / 2026

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ई-5 अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर, कचनार, भोपाल 462016
- ✓ 2. आदेश नस्ती।


(डॉ. विवेक कटारे)



क्षेत्रीय 150 लय

Annexure-11



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

Telephone:- 0755-2466392 Email:-romppcb_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 2531 /क्षेका/प्रनिबो/2026

भोपाल, दिनांक 6 / 7 / 2026

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,

तहसील - कोलार,

जिला - भोपाल (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल में प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) नितिन सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में जानकारी/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने बाबत।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 87/2026 (CZ) में दिनांक 17.04.2026 को पारित आदेशानुसार प्रकरण शाहपुरा झील के संरक्षण, झील क्षेत्र में कथित अतिक्रमण, अवैध निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में अवरोध, झील के जल प्रदूषण, आर्द्रभूमि (Wetland) नियमों के अनुपालन तथा शाहपुरा झील के सीमांकन एवं पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है। प्रकरण में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 01.07.2026 को स्थल निरीक्षण किया गया। प्रकरण के परीक्षण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किए जाने हेतु कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. शाहपुरा झील एवं समीपस्थ क्षेत्र से संबंधित राजस्व अभिलेख, मानचित्र, खसरा, नक्शा एवं सीमांकन (Demarcation) अभिलेख।
2. शाहपुरा झील से लगी हुई शासकीय एवं निजी भूमि के स्वामित्व संबंधी विवरण।
3. झील अथवा उसके कैचमेंट क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित उपलब्ध अभिलेख, प्रतिवेदन एवं कार्यवाही का विवरण।
4. शाहपुरा झील अथवा समीपस्थ क्षेत्र के सीमांकन हेतु गठित दलों, किए गए सर्वेक्षणों अथवा पारित आदेशों से संबंधित अभिलेख।
5. प्रकरण से संबंधित विभाग के पास उपलब्ध अन्य कोई सूचना, प्रतिवेदन, अध्ययन, पत्राचार अथवा अभिलेख।

उक्त जानकारी एवं संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय को 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि संयुक्त समिति द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष तथ्यात्मक प्रतिवेदन समय-सीमा में प्रस्तुत किया जा सके।

2532
6/7/2026
प्रतिलिपि:-

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी

कलेक्टर, जिला - भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नीतेश चौरसिया)
क्षेत्रीय अधिकारी



Madhya Pradesh Pollution Control Board Annexure-12 Central Laboratory



Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal -462016 (M.P.) TC-8568
Tel : 0755-2466191; E.mail : cl_mppcb@rediffmail.com; Web : www.mppcb.mp.gov.in

Test Report

Report No. 116/1-3

Sample from:

Reference No:

Sample Description:

Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.

Letter No.196. Dated 01/07/2026

Water Samples

1. Water Sample collected from Shahpura Lake Near Rishabhdev Udhyan.

2. Nallah Water Sample of Ravi Shankar Nagar, Bhopal.

3. Nallah Water Sample Near Gut Hospital. Bhopal.

Sample Container:

Sample Volume:

Sampling by CL/Customer:

Sampling date:

Received on:

Date of Start Analysis:

Date of End Analysis:

Sampling Method/Plan:

Environmental Condition:

Preservation status:

Visual Observations

1 Color

2 Appearance

3 Odour

Polyethylene & Glass bottle

1x 2 ltr, 2x1 ltr & 1x 300ml

Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal

01/07/2026

01/07/2026

01/07/2026

08/07/2026

APHA, 24th Edition, 2023 Method 1060

Not mentioned

As per Protocol

1.

Colorless

Slightly Turbid

Slightly Unpleasant

2.

Colorless

Slightly Turbid

Slightly Unpleasant

3.

Colorless

Slightly Turbid

Slightly Unpleasant

S. No.	Analyte Tested	Unit	Test Method Number:-	Result 1	Result 2	Result 3
1.	pH	pH Unit	4500 pH ⁺ B APHA, 24 rd Edition, 2023	7.60	7.35	7.89
2.	Conductivity	µmhos/cm	2510 B APHA, 24 rd Edition, 2023	694.3	-	-
3.	Turbidity	NTU	2130-B APHA, 24 rd Edition, 2023	10.6	-	-
4.	Total Solid	mg/l	2540-B APHA, 24 rd Edition, 2023	528	598	560
5.	Total Dissolved Solid	mg/l	2540-C APHA, 24 rd Edition, 2023	492	566	532
6.	Suspended Solid	mg/l	2540-D APHA, 24 rd Edition, 2023	36	32	28
7.	Chloride	mg/l	4500-Cl B APHA, 24 rd Edition, 2023	42.42	66.53	29.89
9.	Dissolved Oxygen	mg/l	4500-OC APHA, 24 rd Edition, 2023	5.2	-	-
10.	COD	mg/l	5220 B APHA, 24 rd Edition, 2023	59.28	39.52	59.28
11.	Total Alkalinity	mg/l	2320 B APHA, 24 rd Edition, 2023	148	-	-
12.	P. Alkalinity	mg/l	2320 B APHA, 24 rd Edition, 2023	NIL	-	-
13.	Total Hardness	mg/l	2340 C APHA, 24 rd Edition, 2023	218	-	-
14.	Calcium Hardness	mg/l	3500 Ca B APHA, 24 rd Edition, 2023	152	-	-
15.	Magnesium Hardness	mg/l	2340 B APHA, 24 rd Edition, 2023	66	-	-
16.	Ammonical Nitrogen	mg/l	4500-NH ₃ F APHA, 24 rd Edition, 2023	BDL	-	-
17.	Nitrite	mg/l	4500-NO ₂ B APHA, 24 rd Edition, 2023	0.65	-	-
18.	Nitrate	mg/l	4500-NO ₃ B APHA, 24 rd Edition, 2023	15.30	-	-
19.	Phosphate	mg/l	4500-PD APHA, 24 rd Edition, 2023	0.97	-	-
20.	Sulphate	mg/l	4500-SO ₄ ⁻² E APHA, 24 rd Edition, 2023	44.30	-	-
21.	Flouride	mg/l	4500-FD APHA, 24 rd Edition, 2023	0.29	-	-
22.	Sodium	mg/l	3500 Na B APHA, 24 rd Edition, 2023	58.87	-	-
23.	Potassium	mg/l	3500 K B APHA, 24 rd Edition, 2023	6.6	-	-
24.	Boron	mg/l	4500-B B APHA, 24 rd Edition, 2023	BDL	-	-
25.	BOD	mg/l	IS 3025[Part 44]:1993[First Revision]	9.8	7.6	9.2

Remark : 1. No statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.
2. The results relate only to the items tested
3. The report shall not be reproduced except in full without permission of Incharge Central Laboratory, MP, Pollution Control Board, Bhopal.
4. BDL- Below Detection Limit, MDL-Minimum Detection Limit, Ammonical Nitrogen MDL 0.1 mg/l, Boron -MDL (0.1 mg/l)

End - of - Report

(Dr. Harish Wankhade)
I/C, Central Laboratory
page 1 of 1





Madhya Pradesh Pollution Control Board Central Laboratory



Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal -462016 (M.P.)

Tel : 0755-2466191; E.mail : cl_mppcb@rediffmail.com; Web : www.mppcb.mp.gov.in

Test Report

Report No. 116/1

Sample from:

Reference No:

Sample Description:

Sample Container:

Sample Volume:

Sampling by CL/ Customer:

Sampling date:

Received on:

Date of Start Analysis:

Date of End Analysis:

Sampling Method/Plan:

Environmental Condition:

Preservation status:

Visual Observations

1 Color

2 Appearance

3 Odour

Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.

Letter No.196, Dated 01/07/2026

Water Samples

1. Water Sample collected from Shahpura Lake Near Rishabhdev Udhyan .

Polyethylene & Glass bottle

1x 2 ltr, 2x 100ml

Regional Office, M.P. Pollution Control Board, Bhopal

01/07/2026

01/07/2026

01/07/2026

08/7/2026

~~APHA, 24th Edition, 2023 Method 1060~~

Not mentioned

As per Protocol

1.

Colorless

Slightly Turbid

Slightly Unpleasant

Issue Date 14/07/26

S. No.	Analyte Tested	Unit	Test Method Number	Result
1.	Colour	(Hazens)	2120-B APHA, 24 th Edition, 2023	4.84
2.	Calcium (as Ca ⁺⁺)	mg/l	3500Ca B APHA, 24 th Edition, 2023	60.87
3.	Magnesium(as Mg ⁺⁺)	mg/l	2340 B APHA, 24 th Edition, 2023	16.02
4.	Fixed Dissolved Solid	mg/l	2540 E APHA, 24 th Edition, 2023	226
5.	Total Kjeldhal Nitrogen	mg/l	4500-N _{org} B APHA, 24 th Edition, 2023	BDL
6.	SAR	-	-	1.73
7.	Total Coliform	MPN/100ml	9221-B APHA, 24 th Edition, 2023	>1600
8.	Fecal Coliform	MPN/100ml	9221-E APHA, 24 th Edition, 2023	>1600
9.	Fecal Streptococci	MPN/100ml	9230-B APHA, 24 th Edition, 2023	<1.8
10.	E.Coli	MPN/100ml	9221-G APHA, 24 th Edition, 2023	920

Remark : 1. No statutory liability accepted for samples not collected by M.P.P.C.B.

2. The results relate only to the items tested

3. The report shall not be reproduced except in full without permission of Incharge Central Laboratory, MP, Pollution Control Board, Bhopal.

4. BDL-Below Detection Limit.

End - of - Report

(Dr. Harish Wankhade)
I/C, Central Laboratory
page 1 of 1



153
MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Water Quality during Year 2026

Natural Water Resource : Shahpura Lake Spill outlet, Bhopal.

Sr No	Par	Unit	Jan(09-01-2026)	Feb(02-02-2026)	March(09-03-2026)	April(01-04-2026)	May(06-05-2026)	June(01-06-2026)
1	Alkalinity as CaCO ₃	mg/l	214	216	218	158	162	220
2	Ammonical Nitrogen	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
3	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	8.4	4.8	5.2	6.4	5.6	4.4
4	Boron	mg/l	BDL	BDL	BDL	0.04	BDL	BDL
5	Calcium	mg/l	50.46	56.06	36.84	40.84	45.65	60.87
6	Calcium Hardness as CaCO ₃	Mg/Lts	126	140	92	102	114	152
7	Chemical Oxygen Demand	mg/l	48	40	47	38.4	47.6	29.4
8	Chloride	mg/l	55.5	56.98	50.23	37.45	65.55	48.98
9	Colour	Pt.Co.Scale	17.56	58.7	11.51	21.98	6.48	19.13
10	Conductivity	micromho/cm	656.2	571.6	629.7	469.6	614.3	568.7
11	Dissolved Oxygen	mg/l	5.4	6.3	4.8	4.6	5.4	5.2
12	E.Coli.	MPN/100 ml		1600	1600	1.8	<1.8	1.8
13	Fecal Coliform	MPN/100 ml	1600	1600	1600	920	540	920
14	Fixed Dissolved Solids	mg/l	254	208	220	154	278	208
15	Fluoride	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
16	Magnesium	mg/l	23.79	20.88	25.25	17.48	16.02	18.45
17	Magnesium Hardness as CaCO ₃	Mg/Lts	98	86	104	72	66	76
18	Nitrate	mg/l	12.24	19.87	19.1	8.74	12.46	10.79
19	Nitrite	mg/l	1.57	0.07	0.24	0.37	0.25	0.67
20	P-Alkanity	--	NIL	12	Nil	NIL	NIL	NIL
21	pH	pH Units	7.74	8.44	6.8	8.3	8.05	7.63
22	Phosphate	mg/l	1.06	1.27	0.62	BDL	0.86	0.78
23	Potassium	mg/l	3.18	10.89	6.93	5.7	4.79	3.98
24	Sodium	mg/l	29.61	40.62	44.74	20.22	36.61	29.48
25	Sodium Absorption Ratio(SAR)	SAR	0.85	1.17	1.38	0.93	1.19	0.85
26	streptococci	MPN/100 ml	<1.8	1.8	<1.8	1.8	<1.8	<1.8
27	Sulphate	mg/l	19.57	36.97	22.37	30.64	24.07	31.17
28	Suspended Solids	mg/l	38	112	48	40	66	62
29	Temperature	Centigrade	18	20	24	25	27	30
30	Total coliform	MPN/100 ml	1600	1600	1600	1600	1600	1600
31	Total Dissolved Solids	mg/l	438	372	426	324	422	384
32	Total Hardness as CaCO ₃	mg/l	224	226	196	174	180	228
33	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	2.8	BDL	2.8	BDL	2.8	BDL
34	Total Solids	mg/l	476	484	474	364	488	446
35	Turbidity	N.T.U.	6.8	16.7	9.5	4.3	17.8	7.5
Category			D	D	D	D	D	D

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Water Quality during Year 2026

Natural Water Resource : NRCP Oxidation Pond, Ekant Park, Bhopal

Sr No	Par	Unit	Jan(09-01-2026)	Feb(12-02-2026)	March(09-03-2026)	April(01-04-2026)	May(04-05-2026)	June(01-06-2026)
1	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	8.8	7.6	4.2	12.4	12.8	6.8
2	Chemical Oxygen Demand	mg/l	57.6	70	47	49	47.6	39.2
3	Chloride	mg/l	85.17	50.23	47.28	57.85	58.7	66.53
4	pH	pH Units	7.86	7.65	7.6	8.07	7.35	8.2
5	Suspended Solids	mg/l	46	52	58	212	62	70
6	Total Dissolved Solids	mg/l	574	486	496	514	592	478
7	Total Solids	mg/l	620	538	554	726	654	548

VAKALATNAMA
[Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
OA No. 87/2026(CZ)

IN THE MATTER OF:
NITIN SAXENA

.....APPLICANT

VERSUS

MP STATE WETLAND AUTHORITY & ORS.

.....RESPONDENTS

I Neetesh Chaurasiya named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me. In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me at Bhopal on 16.07.2026.

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone	Status in case	Signature
Neetesh Chaurasiya S/o Sh. Rajendra Prasad Chaurasiya Regional Officer MP PCB Regional Office Bhopal	Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal, 462016	legalcell@mppcb.mp.gov.in 7898892470	OIC, MP PCB (R-8)	 Neetesh Chaurasiya Regional Officer, Bhopal

Accepted

Name & Enrollment No.	Office Address	E-Mail Add.	Telephone	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	ParyavaranParisar, E-5 Arera Colony, Bhopal, 462016	parul.bhadoria04@gmail.com legalcell.pcb@mp.gov.in	8085977111	
MOHIT BUCH 1305/2017		legalcell.pcb@mp.gov.in	9685034578	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021		advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	

LegalCell < legalcell@mppcb.mp.gov.in >

Thu, 16 Jul 2026 6:59:46 PM +0530

To "harpreetsinghgupta"<harpreetsinghgupta@gmail.com>
Cc "mpswa gov"<mpswa.epco.gov@gmail.com>,"Collector Bhopal"
<dmbhopal@nic.in>,"commoffice"<commoffice@bmconline.gov.in>,"parul
bhadoria04"<parul.bhadoria04@gmail.com>,"harnengt"
<harnengt@gmail.com>,"Rajesh Rajora"<pswrd@mp.gov.in>,"Sanjay Shukla"
<psuaddmp@mpurban.gov.in>,"cpcb bhopal"
<cpcb.bhopal@gmail.com>,"Directorate Planning"<mptownplan@mp.gov.in>

Madam/ Sir

Please find enclosed the JCR on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) in **OA 87/2026 Nitin Saxena Vs Wetland Authority and Ors.** for information and necessary action.

This mail may be treated as proof of service.

Regards
Legal Section
MP PCB

1 Attachment(s)

OA 87-2026 Nitin Saxena Vs ...
16.4 MB